न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 21/2014

सन्तोबाई पत्नी स्व0 सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह जाति रायसिख साकिन दुलापुरकेरी तहसील हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. जीत कौर पत्नी स्व. सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह जाति रायसिख साकिन जगतावाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार भू–अभिलेख घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री तिलकराज बुध
2. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट श्री सुखविन्द्र सिंह

दिनांक: 14.12.2017

निर्णय

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पति सोहन सिंह वल्द पठाना सिंह जाति रायसिख के नाम से चक 4 जीएम की तहसील घड़साना का मुरब्बा न. 4 पत्थर न. 7/9 किला न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 के 2.405 है0 व मुरब्बा नं 9 पत्थर न. 7/10 के किला न. 1, 2, 10, 11, 20, 21 के 1.367 है0 कुल 3.772 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि थी। अपीलांट के पति सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह का देहान्त दिनांक 02.12.2007 को हो चुका है। अपीलांट के पति सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह ने अपने जीवन काल में दो शादीयां की थी। प्रथम शादी सोहन सिंह ने अपीलांट सन्तो बाई के साथ की थी । अपीलांट एवं सोहन सिंह के ससंर्ग से कुल 5 संताने महेन्द्र सिंह, फुमन सिंह, अमर सिंह, गुरमीत सिंह एवं एक लड़की राणोबाई पैदा हुए। जिसमें महेन्द्र का देहान्त हो चुका है। व सोहन सिंह दूसरी शादी जीत कौर रेस्पोडेंट संख्या 01 के साथ की थी। जिससे सोहनसिंह के कुल 6 संताने जिसमें दर्शन सिंह, चनसिंह, दलीप सिंह , छिनोबाई, भालो बाई, निम्मा बाई पैदा हुए। अपीलांट के पति सोहन सिंह के देहान्त उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 01 ने सर्वप्रथम अपीलांट एवं उसके पुत्रों एवं पुत्री को सोहन सिंह का वारिस होना छुपाते हुए विरासतन इंतकाल संख्या 07 दिनांक 20.3.2013 रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने एवं दर्शन सिंह, चनसिंह, दलीप सिंह, छिन्दोबाई, भालो बाई एवं निम्मो बाई के नाम दर्ज करवा लिया । तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 01 ने साजिशाना तरीके से इंतकाल संख्या 07 दिनांक 20.3.2013 को उपजिला कलक्टर घडसाना से निरस्त करवाकर अकेले अपने नाम से इंतकाल संख्या 72 दिनांक 12.12.2012 को भू.अ. घड़साना से अपने नाम स्वीकृत करवाकर दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने सोहन सिंह की प्रथम पत्नी यानि अपीलांट एवं उसके वारिसान को छुपाते हुए विधिविरूद्ध तरीके से इंतकाल संख्या 07 दिनांक 20.3.2013 व 72 दिनांक 12.12.13 अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कतई न्याय संगत नहीं है। क्योंकि उक्त दोनों इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया व ना ही विधिक प्रक्रिया अपनाई गई।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र 21/2014 पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री तिलक राज बुध हाजिर आये। रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पति सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह ने अपने जीवन काल में दो शादीयां की थी। प्रथम शादी सोहन सिंह ने अपीलांट सन्तो बाई के साथ की थी। अपीलांट एवं सोहन सिंह के ससंर्ग से कुल 5 संताने महेन्द्र सिंह, फुमन सिंह, अमर सिंह, गुरमीत सिंह एवं एक लड़की राणोबाई पैदा हुए। जिसमें महेन्द्र का देहान्त हो चुका है। व सोहन सिंह दूसरी शादी जीत कौर रेस्पोडेंट संख्या 01 के साथ की थी। जिससे सोहनसिंह के कुल 6 संताने जिसमें दर्शन सिंह, चनसिंह, दलीप सिंह, छिनोबाई, भालो बाई, निम्मा बाई पैदा हुए। सोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात जीतो कौर द्वारा तहसीलदार घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति सोहन सिंह ने अपने जीवन काल में विवादित भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.12.2005 को प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित करवाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

थी। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। अतः रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.4.2013 को स्वीकार किया गया। व पटवारी हल्का को इंतकाल दर्ज करने हेतु आदेश दिया गया। लेकिन इससे पूर्व ही दिनांक 20.3.13 को ग्राम पंचायत 1 एसकेएम बी द्वारा इंतजकाल संख्या 70 वारिसान दर्ज कर दिया गया। उक्त इंतकाल संख्या 70 के विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश की गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई करके दिनांक इंतकाल संख्या 70 निरस्त कर दिया पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी कि तहसीलदार घड़साना नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करे। परन्तु तहसीलदार द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । मात्र अपने कयासो के आधार पर हीं उक्त निर्णय जारी कर दिया जो न्यौचित नहीं है। अपील पेश करने में देरी को कन्डोन कर विलम्ब क्षमा किया जावे व धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालनुसार कार्यवाही नहीं की अतः अपील स्वीकार की जावे।

3. वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह अपील इंतकाल के विरुद्ध की गई है न की जिस आदेश से यह इंतकाल दर्ज हुआ है, उसके विरुद्ध। वकील अपीलांट ने प्रश्नाधीन आदेश को कहीं भी विधिविरुद्ध नहीं बताया है। उक्त इंतकाल रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज हुआ है, परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त रजिस्ट्री के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में वाद दायर नहीं करवाया गया है। धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर हमें कोई आपत्ती नहीं है। तमाम कार्यवाही नियमानुसार ही हुई है। अपीलांट ने अपना पक्ष प्रस्तुत करनें संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। यह अपील इंतकाल के विरुद्ध पेश की है जबकि इंतकाल रजिस्ट्रर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज हुआ है। उक्त विवादित भूमि सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह के नाम थी। सोहन सिंह उर्फ सोना सिंह ने विवादित भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड वसीयत दिनांक 29.12.2005 से जीत कौर के नाम स्वेच्छा से अपने जीवन काल में ही कर दी थी, जिसकी पुष्टि तहसीलदार के निर्णय दिनांक 28.11.2013 से होती है। अपीलांट ने अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी घडसाना ने इस आश्य के साथ प्रकरण तहसीलदार घडसाना को रिमाण्ड किया था कि वे नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करे, परन्तु तहसीलदार ने बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया। इस बिन्दु बाबत हमने तहसीलदार ने निर्णय दिनांक 28.11.2013 में अंकन किया है कि वारिसान को नोटिस जारी किये गये लेकिन वारिसान द्वारा कोई आपत्ती जाहीर नहीं की गई। साथ ही वसीयत दिनांक 29.12.2005 के संबंध में नोटिस जारी करने पर भी कोई आपत्ती इस कार्यालय में व न ही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जाहीर की। जिससे प्रतीत होता है कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है व अपीलांट द्वारा कोई दौरानें कार्यवाही कोई आपत्ती नही थी। यह अपील मात्र अपने व्यक्तिगत कारणों से अपील पेश किया जाना प्रतीत होता है।

अपीलांट अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन ये दोनों ही बिन्दु साबित नहीं कर पाये है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीला अपीलांट खारिज की जाती है। व इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2014 को जारी स्थगन अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/11/14

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner